

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 77/2015 वैवाहिक

रामसिया बाथम आयु 38 साल पुत्र श्री विद्याराम
बाथम निवासी वार्ड नं.12 मौ तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

श्रीमती सावित्री देवी उर्फ गुड्डी देवी आयु 35
साल पत्नी रामसिया बाथम पुत्री स्व0 श्री
धनीराम बाथम निवासी वार्ड नं0 12 मौ, तहसील
गोहद जिला भिण्ड हाल निवासी त्रिप्तीनगर
नदीपार टाल अम्बेडकर मेरिज हॉउस,
रामजीबाबा के मंदिर के पास मुरार जिला
ग्वालियर म0प्र0

-----अनावेदिका

आवेदक द्वारा श्री के0सी0उपाध्याय अधिवक्ता
अनावेदिका एक पक्षीय

//नि र्ण य//
// आज दिनांक 07.09.2016 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह वर्ष 1992 में हिन्दू रीति रिवाज से अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही अनावेदिका अकारण आवेदक से झगडा फसाद कर

सामाजिक तौर पर अपमानित करने लगी और आवेदक के परिवार के साथ क्रूरता का व्यवहार करने लगी । आवेदक अनावेदिका को समझाते हुये भविष्य में उसके व्यवहार में परिवर्तन की आशा से उसे अपने साथ रखकर दाम्पत्य जीवन का निर्वहान करते हुये अपने पति धर्म का पालन करता रहा, किन्तु अनावेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह पूर्व की भांति ही आवेदक व उसके परिजनों के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करती रही और आवेदक और उसके परिवार को सामाजिक तौर पर अपमानित करती रही । अनावेदिका बात बात पर आवेदक को वगैर बताये अपने पिता के घर चली जाती तब आवेदक समाज के लोगों की पंचायत जोड़कर उसे उसके पिता के घर से लेकर आता और उसे समझाते हुये अपने पत्नी धर्म का पालन करने के लिये कहता था, किन्तु अनावेदिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया । अनावेदिका हमेशा आवेदक के साथ क्रूरता का व्यवहार कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा और आवेदक को धोंस दी कि यदि शारीरिक संबंध बनाये तो वह आत्महत्या कर लेगी । अनावेदिका के सोच बर्ताव में कोई परिवर्तन न होते हुये वह अपनी मर्जी से नवम्बर के महीने में वर्ष 2014 में वगैर बताये अनावेदिका नगदी व सोने, चांदी के आभुषण लेकर अपने पिता के घर चली गयी । आवेदक अनावेदिका का अपने पिता के घर चले जाने के उपरांत कई बार लेने गया लेकिन अनावेदिका आवेदक के साथ नहीं आयी बल्कि अनावेदिका और उसकी मां द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी देने के साथ झूठे केश में फसाने की धोंश दी और फिर भी आवेदक दिनांक 21-11-2015 को अपने समाज के लोगों व रिश्तेदारों को लेकर अनावेदिका के पिता के घर गया और अपने साथ आने को कहा तो अनावेदिका व उसकी मां से आवेदक के साथ जाने के लिये कहा तो इंकार कर दिया । इस प्रकार अनावेदिका युक्ति युक्त कारण के दाम्पत्य सुख से बंचित कर रही है जिससे आवेदक का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और अपने रोजगार से बंचित हो रहा है । अनावेदिका विवाह से नवम्बर माह वर्ष 2014 तक आवेदक के साथ कस्वा मौ के वार्ड नं012 में पत्नी के रूप में निवासरत रही है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्ली प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा भेजा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से समंस जारी किए जाने के उपरांत दिनांक 29-6-16 को न्यायालय में लेने से इन्कार की टीप के साथ वापिस प्राप्त हुआ इस कारण दिनांक 29-6-16 को अनावेदिका के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है ।

04. प्रकरण में निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिनके समक्ष निकाले गये निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

- 1-क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक के साथ बिना युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण के साथ रहने से इन्कार किया जा रहा है ?
- 2-क्या अनावेदिका के द्वारा आवेदक का परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया है ?
- 3-क्या आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3:-

05. आवेदक रामसिया बाथम साक्षी क्रं01 ने उसका विवाह सन् 1992 में अनावेदिका से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार होना बताया है तथा विवाह के पश्चात् पति पत्नी के रूप में साथ रहना बताया है । आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ होना तथा अनावेदिका का आवेदक के साथ रहने के तथ्य आवेदक साक्षी क्रं02 मानसिंह एवं आवेदक साक्षी क्रं03 श्यामसुन्दर के कथनों से भी होता है । इस प्रकार अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी होना प्रमाणित है ।

06. आवेदक रामसिया बाथम साक्षी क्रं01 के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका विवाह वर्ष 1992 में हिन्दू रीति रिवाज से अनावेदिका के साथ सम्पन्न हुआ । विवाह के कुछ समय पश्चात् से ही अनावेदिका के स्वभाव में अकारण परिवर्तन आ गया और वह उसे अपमानित करने लगी और उसके साथ झगडा कूरता का व्यवहार करने लगी थी वह काफी समझाने पर भी नहीं मानती थी । अनावेदिका अपने मायके पक्ष के वहकावे में आकर अपनी मनमर्जी से नवम्बर 2014 में बिना बताये नगदी धन और सोने चांदी के आभुषण लेकर अपने पिता के घर चली गयी । आवेदक कई बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था लेकिन उसकी पत्नी ने आने से मना कर दिया और उसकी सासु मां ने उसे जान से मारने की धमकी देने के साथ झूठे केश में फसाने की धमकी दी, तब उसके द्वारा दिनांक 21-11-2015 को समाज के लोगों व रिस्तेदारों की पंचायत जोड़ी तथा अनावेदिका सावित्री देवी और उसकी मां ने पंचायत के समक्ष आने से इन्कार कर दिया । अनावेदिका नवम्बर 2014 में वगैर बताये अपने साथ सोने चांदी के जेवरात लेकर घर से चली गयी थी । अनावेदिका बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अपने पिता के घर रह रही है और उसे दाम्पत्य सुख से बंचित कर रही है और अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है ।

07. आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र पर साक्ष्य का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है । इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के अभाव में उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन

अखण्डनीय रहे है। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

08. आवेदक रामसिया बाथम के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी साक्षीगण मानसिंह आ.सा. 2 एवं श्यामसुन्दर अ0सा03 के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे है।

09. आवेदक के कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आवेदिका बिना कारण के उससे पृथक रह रही है और उसके द्वारा बुलाये जाने पर भी वह उसके पास नहीं आ रही है और अनावेदिका के द्वारा उसका परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखा गया है। आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक स्वयं का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी मानसिंह आ.सा. 2 एवं श्यामसुन्दर अ0सा03 के कथनों से भी होती है, उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है। इस संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अनावेदिका बिना किसी युक्ति युक्त एवं पर्याप्त कारण के आवेदक के साथ रहने से मना करना तथा आवेदक का परित्याग कर उसे दाम्पत्य सुखों से बंचित रखने का तथ्य प्रमाणित होता है। तदनुसार बिन्दु क्रं01 व 2 का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है।

10. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्न पर निकाले गये निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अनावेदिका के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण के आवेदक के साथ रहने से इन्कार किया जा रहा है और अनावेदिका के द्वारा उसका परित्याग कर दाम्पत्य सुखों से आवेदक को बंचित किया गया है। ऐसी दशा में निश्चित रूप से आवेदक दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना की जो सहायता चाह रहा है उसे प्राप्त करने का अधिकारी है। तदनुसार उपरोक्त विचारणीय बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1-अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह आवेदक के साथ मय अपने पहने हुये आभूषणों सहित निवास हेतु आकर दाम्पत्य संबंधों की स्थापना करे।

2-प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3-अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाणपत्र के अनुसार या सूची मुताविक जो भी कम हो देय होगा।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर जिला जज गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)